

aglasem.com

कक्षा ११ राजनीति विज्ञान नोट्स

संविधान क्यों और कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन

Key Notes and Important Questions with Answers

अध्याय 1

संविधान क्यों और कैसे ?

संविधान क्या हैं?

- किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढाँचा निर्धारित करता है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है।
- संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की स्थापना करता है।
- संविधान सरकार के तीनों अंगो की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्त्तव्यों की सीमा तय करता है।
- संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्बन्धों तथा उनका जनता के साथ, संबंधों, का विनियमन करता है।
- संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है, तथा अराजकता को रोकता है।

संविधान की आवश्यकताः–

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है।
- संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है।
- अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह तय करता है।
- संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है।
- एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है।

भारतीय संविधान सभा का निर्माणः–

- जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लार्ड वेवल ने इसकी पुष्टि कीं
- कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार–संविधान निर्माण–निकाय की सदस्य

संख्या–389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के अधीन ग्यारह प्रांतो से, 04 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों (दिल्ली, अजमेर–मारवाड, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान) से और 93 प्रतिनिधि–भारतीय रियासतों से लिए जाने थे।

- ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा मे स्थान दिए गए। (10 लाख लोगों पर एक स्थान)
- प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
- 3 जून, 1947, मांउटबेटन योजना के अनुसार भारत–पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य–संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई।

संविधान सभा का स्वरूपः–

- संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन–दिन–सोमवार, 09 दिसम्बर 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ।
- 9 दिसम्बर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया।
- 13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता–सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियों 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं।
- संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई।
- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

भारतीय संविधान के स्रोतः–

- संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था।
- 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।
- अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालीः–

(क) ब्रिटिश संविधानः

(i) सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला।
(ii) सरकार का संसदीय स्वरूप।
(iii) कानून के शासन का विचार।
(iv) विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी – कानून निर्माण की विधि।

(ख) अमेरिका का संविधानः

(i) मौलिक अधिकारों की सूची। संविधान की प्रस्तावना
(ii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उप राष्ट्रपति का पद

(ग) आयरलैंड का संविधानः

(i) राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान

(घ) फ्रांस का संविधानः

(i) स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त।

(ड.) कनाडा का संविधानः

(i) एक अर्द्ध–संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था।)
(ii) अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. संविधान क्या है?
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा मे किस समिति के अध्यक्ष थे?
3. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
4. समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है?
5. नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन–सा देश है?
6. संविधान सरकार को कौन–सा सामर्थ्य प्रदान करता है?
7. संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है?
8. 'कठोर संविधान' से आप क्या समझते है?
9. 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे?
10. पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था?
11. अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
12. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है?
13. संविधान सभा के प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया?
14. क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया?
15. क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. 'संविधान' क्यों महत्वपूर्ण है?
2. यदि संविधान में मूलभूत कानूनों / नियमों का अभाव होता तो क्या होता?
3. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।
4. ''संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है।'' उपर्युक्त कथन

को दक्षिण–अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ मे समझाइए।

5. भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई?

6. संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।

7. नेहरू जी, द्वारा 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' के दो उद्देश्यो को लिखिए।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए।

2. भारतीय संविधान सभा के गठन की किन्हीं चार कमियों का वर्णन करों।

3. ''संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है।'' इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान को मजबूती देने के लिए क्या–क्या प्रयास किए गए हैं। उल्लेख करें।

4. ''नेपाल में संविधान निर्माण विवाद'' विषय पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए?

5. एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन–कौन से होते हैं?

6. भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया।' कैसे? समझाइए।

पाँच अंकीय प्रश्नः –

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें–

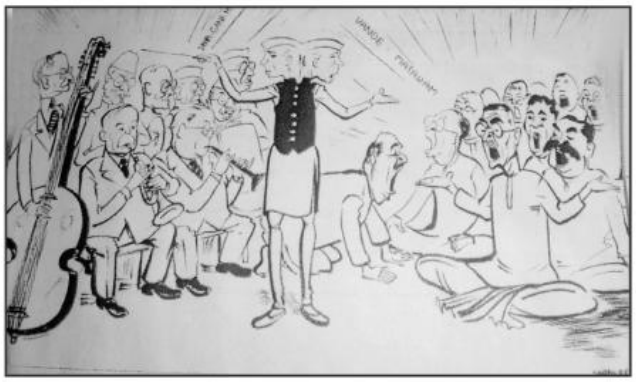
''दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने के प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और वह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे–धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराये।

(क) दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बना? 1

(ख) क्या संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है? 2

(ग) दक्षिण अफ्रीका के संविधान मे कौन–कौन सी वैश्विक समस्याओं को सम्मिलित किया गया है? 2

2. प्रदर्शित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:–



(क) दो मुँह वाला व्यक्ति कौन है? 1

(ख) व्यक्ति के दायीं और बायीं ओर बैठे सदस्य किस–किस विचारधारा के हैं? 2

(ग) दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? 2

छः अंकीय प्रश्नः–

1. हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? सविस्तार समझाइए।
2. भारतीय संविधान सभा की रचना, ब्रिटिश मंत्रीमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइए।
3. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए।
4. उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय है?
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तार समझाइए– (क) न्याय, (ख) स्वतंत्रता, (ग) समानता, (घ) बंधुत्व, (ड.) धर्मनिरपेक्षता, (च) समाजवादी।
6. सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक 'पुष्प–गुच्छ' (BOUQUET) की भांति है। जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित हैं?

अथवा

''भारतीय संविधान उधार लिए गये सिद्धान्तों को टोकरा है।'' समझाइए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है, जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है।
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।
4. संविधान का।
5. दक्षिण–अफ्रिका।
6. सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने (कार्य करने) का सामर्थ्य प्रदान करते है।
7. संविधान का प्रारम्भिक परिचय ही संविधान की प्रस्तावना है।
8. ऐसा संविधान जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन/परिवर्तन नहीं किए जा सकता।
9. 299 सदस्य।
10. कम्यूनिस्ट पार्टी को।
11. 284 सदस्यों में।
12. बारह (12) अनुसूचियाँ हैं।
13. समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा।
14. मार्च 1942 में।
15. क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि–भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जायेगा।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करता। क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। समाज में अराज़कता होती है।
3. (1) मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, जिससे समाज में एक दूसरें में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने।

(2) यह तय करना कि समाज में अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

4. (1) दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे–पर्यावरण संरक्षण करना तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना

(2) इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें।

5. 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन तथा 166 बैठकें।

6. 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया।

7. (1) भारत एक स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य होगा।

(2) भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जायेगी।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 11 दिस्मबर 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

   सदस्य संख्या 389, (292+4+93)। 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैंठकें–166।

2. (i) प्रभुसत्ता की कमी।

   (ii) प्रातों का अनुचित वर्गीकरण।

   (iii) देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया।

   (iv) संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया।

3. (i) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण– संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा।

   (ii) संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैस–स्वतंत्र चुनाव आयोग।

(iii) बाध्यकारी मूल्य नियम प्रक्रिया के साथ कार्यपालिका में लचीलापन तथा साथ ही संविधान की कठोरता।

4. 1948 के बाद से नेपाल में पांच संविधान बन चुके हैं–1948, 1951, 1959, 1962, 1990 एवं 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध हुआ। मधेसी आन्दोलन इसका विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती थी। वर्तमान में 2015 में बना संविधान चल रहा है।

5. (i) प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए।

(ii) बहुसंख्यको से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

(iii) समान सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(iv) छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना।

(v) समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

6. (i) संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया।

(ii) विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (क) दिसम्बर 1996 में।

(ख) नहीं, वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक–भलाई के लिए काम कर सकें।

(ग) पर्यावरण संरक्षण, वर्ग भेदभाव, आवास समस्या, स्वास्थ्य समस्या वैश्विक गरीबी।

2. कार्टून – (क) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ख) पश्चिमी विचारधारा के लोग
पूर्वी अर्थात् भारतीय संस्कृति के समर्थक

(ग) दोनों को संतुष्ट करने के लिए जन–गण–मन को राष्ट्रीयगान और वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत बनाया।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संविधान की आवश्यकता– देश का सर्वोच्च कानून बनाने, सरकार का निर्माण करने, शासन–व्यवस्था के तरीके बताने, सरकारों के प्रकारों (संसदात्मक/अध्यक्षात्मक/एकात्मक/संघात्मक) की जानकारी देने,

सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है तथा अन्य।

2. (i) ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति–'कैबिनेट मिशन'।

(ii) सदस्यों का चयन – ब्रिटिश प्रान्तों से (292) + देशी रियासतों से (93) + चीफ कमिशनरों से (4) = 389 सदस्य।

(iii) प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों–मुसलमान, सिख और सामान्य में बंटवारा।

(iv) प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।

(v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया आदि।

3. संविधान की विशेषताएँ–

(i) जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान।

(ii) यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है।

(iii) नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्त्तव्यों की याद दिलाता है।

(iv) स्वतंत्र न्यायपालिका है।

(v) संसदीय शासन व्यवस्था।

(vi) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि।

4. भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय–सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है– अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। (विशेष बहुमत)

– लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास कर के संशोधित कर दिया जाता है।

5. न्याय–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।

स्वतंत्रता–अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता।

समानता – सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति।

बंधुत्व– देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना।

धर्म निरपेक्षता–सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी।

समाजवादी– सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी।

6. भारतीय संविधान एक 'पुष्प गुच्छ' इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धान्त रूपी फूल शामिल किए गये है। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है।

अथवा

सिद्धान्तों को टोकरे के रूप में देखे तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती है उसी भाँति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में – इंग्लैण्ड अमेरिका, आयरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि का उदाहरण देते हुए स्वयं को वर्णन करेगें। जैसे देशों के संविधानिक सिद्धान्तों को लिया गया है जिसे हम उधार ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं।

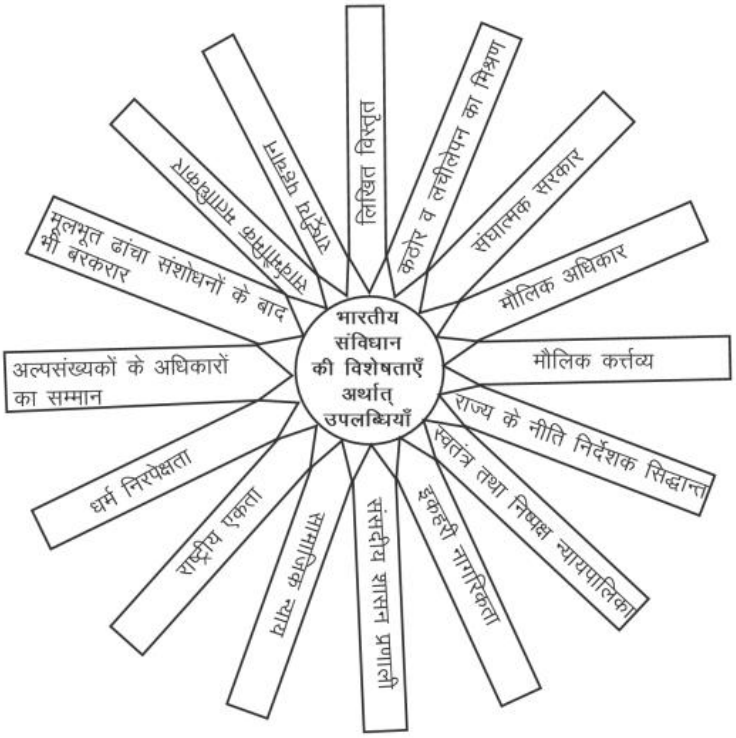
अध्याय 1, भाग – 2

संविधान का राजनीतिक दर्शन

संविधान का राजनीतिक दर्शनः–

- संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि।
- संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं।
- हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें।

संविधान का मुख्य सार– संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है



जवाहर लाल नेहरू के अनुसार–''भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।''

संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णनः–

- **स्वतंत्रता**–संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबधित प्रावधान इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार –विमर्श अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है।
- **सामाजिक न्याय**– भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। उदाहरण– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान।
- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान**– अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करना और अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का भी अधिकार है।
- **धर्म–निरपेक्षता**– धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है 'सर्वधर्म समभाव' धर्म से दूरी बनाए रखना है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नही करता। राज्य धर्म में और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाने पर राज्य हस्तक्षेप करता है। राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है।
- **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार** – देश के सभी वयस्क नागरिकों (18 वर्ष) को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार बिना जाति लिंग भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त है।
- **संघवाद**– भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण है। इसमें दो सरकारों की बात की गई है
  a) एक केन्द्रीय सरकार– संपूर्ण राष्ट्र के लिए
  b) दूसरी राज्य सरकार– प्रत्येक राज्य के लिए अपनी सरकार

  दो सरकारो के बाद भी अधिक शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं। राज्यों की जिम्मेदारियाँ अधिक है।

प्रक्रियागत उपलिब्धः–

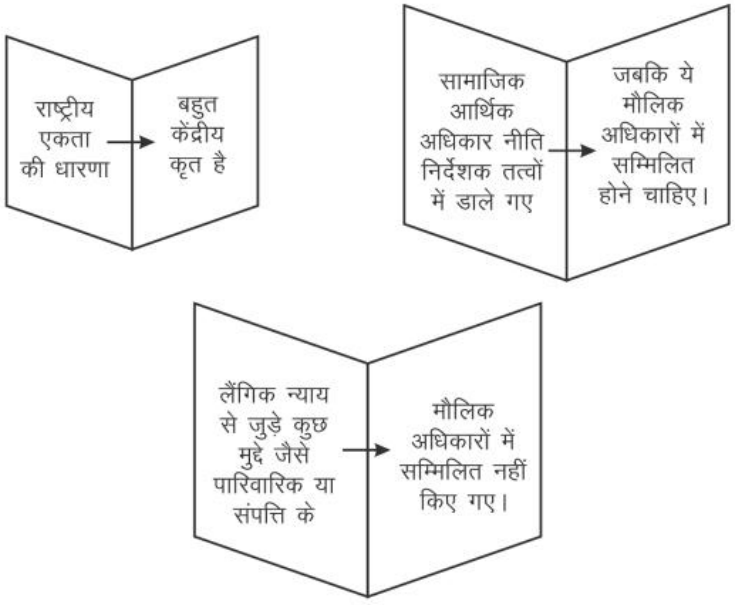
- संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है।
- संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहते थी। वे समझौंतों को महत्व देते थे। (शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्वे अनुमति को स्पष्ट करेंगे।)

  संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है।

संविधान की आलोचना के बिंदुः–

- बहुत लंबा तथा विस्तृत–448 अनुच्छेद, 25 भाग 12 अनुसूचियाँ।
- पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं।
- संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएँः–



प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है?
2. भारत मे किस राज्य का अपना संविधान है?
3. संविधान के दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है?
4. भारत मे राज्य को धर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है?
5. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है?
6. पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है?
7. अनुच्छेद 371A क्या है?
8. मौलिक अधिकार से आप क्या समझतें है?
9. किसने 19वीं सदी के शुरूआती समय में ही प्रेस की आज़ादी की कांट छांट का विरोध किया था?
10. मोती लाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया था?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख करो।
2. अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए हैं?
3. भारतीय संविधान की क्या सीमाएं है?
4. संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है?
5. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य लिखो।
6. संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते है?
7. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किन्हीं चार आदर्शों को समझाइए।
2. धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट करों।
3. मौलिक अधिकारें का अर्थ तथा महत्व बताइए?
4. भारत में संविधान की सर्वोच्चता है? स्पष्ट करें?

पांच अंकीय प्रश्नः–

निम्न अंकित कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें :–



1. यह कार्टून किस धारणा पर आधारित है? 1
2. 'अंपायर' लोकतंत्र है इस का क्या तात्पर्य है? 2
3. भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है? 2

पांच अंकीय प्रश्न :–

निम्न अवतरण को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दो।

संविधान के बारे में गौर करने वाली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19 वीं सदी में ही राममोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट छांट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन

प्रदान करें इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करें।

1. संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। 1
2. जब अंग्रेजो ने प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाया तो किसने उसका विरोध किया और कैसे? 2
3. प्रेस की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। 2

छः अंकीय प्रश्न–

1. भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें?
2. संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यो माना जाता है?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. स्वतंत्रता लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय, एकता।
2. जम्मू कश्मीर।
3. प्रस्तावना।
4. धर्म से संबंधित रिवाज़ जैसे छुआछूत नीतियों को समाप्त करने व किसी के आत्म सम्मान को ठेस न पहुँचे इसके लिये।
5. जापान।
6. राज्य व धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
7. अनुच्छेद 371A में नागालैंड (पूर्वोतर का प्रदेश) को विदेश दर्जा दिया गया है।
8. वह अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। और जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध करके सुरक्षा प्रदान की जाती है।
9. राजा राममोहन राय।
10. 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति स्त्री या पुरूष को मताधिकार।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. a) संविधान ढीला और अस्त व्यस्त
   b) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं
   c) उधार मांगा हुआ संविधान।
   d) सबकी नुमाइंदगी नहीं। (कोई दो)
2. a) उचित प्रतिनिधित्व, संसद में सीटों का आरक्षण
   b) सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण
3. a) राष्ट्रीय एकता की धारणा केन्द्रीकृत
   b) सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाला गया है।
   c) लिंगगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे परिवार से जुड़े मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।
4. संविधान सिद्धान्तों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान न हो और लोगों के अधिकारों का दुरूपयोग न हो।

5. कुछ मौलिक कर्त्तव्य

   a) संविधान का पालन
   b) राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान
   c) देश की एकता व अखण्डता की रक्षा
   d) देश की रक्षा
   e) पर्यावरण को स्वच्छ रखना
   f) सार्वजनिक सम्पति की रक्षा

6. स्वतंत्रता समानता, लोकतंत्र, न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का अध्ययन ही वास्तव में संविधान के राजनैतिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

7. भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके है उन्हें मत देने का अधिकार है।

   सार्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर :–

1. a) प्रभुत्व संपन्न
   b) समाजवादी
   c) धर्मनिरपेक्ष
   d) लोकतंत्र
   e) गणराज्य
   f) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
   g) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, धर्म)
   h) समानता

2. **भारतीय धर्मनिरपेक्षता**– यह पूरी तरह से राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध नहीं मानती। धर्म पर राज्य का प्रभुत्व नहीं है परंतु धर्म राज्य काज में और राज्य धर्म काज में हस्तक्षेप करेगा अगर कोई धर्म व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

   पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता– धर्म व्यक्ति का निजी मामला। धर्म व राज्य दोनों एक दूसरें के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे।

3. ऐसे अधिकार जो जीवन के लिए मूल या आवश्यक हो ओर जिन्हें संविधान के द्वारा दिया गया हो।

   महत्व– 1) लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार
   2) सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध
   3) सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा
   4) संविधान के आधार स्तंभ
   5) अल्पसंख्यको में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ता है।

4. संविधान की सर्वोच्चता

a) लिखित संविधान– सरकार का कार्य व अधिकार निर्धारित

b) सरकार के विभिन्न अंग व संघ की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण

c) कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

d) कोई शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. a) अनुच्छेद 19 से 22

b) राजा राममोहन राय ने, उनका कहना था व्यक्ति को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वंत्रतता हो।

c) प्रकाशन की असीमित आज़ादी।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. a) व्यक्ति की स्वतंत्रता

b) सार्वभौमिक मताधिकार

c) संघवाद

d) विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान

e) राष्ट्रीय एकता

f) समानता

g) सामाजिक न्याय

2. a) संविधान सत्ता को निरंकुश होने से बचाता है।

b) संविधान सबके हितों का रक्षक (सभी वर्गों तथा जातियों का)

c) सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है।

d) कमजोर वर्गों को सत्ता में आने का अवसर मिलता है क्योंकि सभी को सार्वभौमिक मताधिकार है।